FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital

No:- Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.360** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D, Nainital for **Construction of Missing Link Between Ghughukhan – Saur Motor Road and Devipura-Saur Motor Road** in Nainital district falls within jurisdiction of **Saur** village (s) in **Nainital** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.360** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.660 हैक्टेयर बनभूमि प्रयोक्ता एजैन्सी प्रान्तीय खण्ड खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखंण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति, नैनीताल तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं । बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है । परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है ।

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल।

(15)

कार्यालय उप वन संरक्षक, ...

संख्या– / दिनांकः , 200.

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण हेतु 0.360हे0 वन पंचायत भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	
1	सौड़ नाप भूमि	काफल हरा	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		बॉज हरा	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
		योग	1	–	–	2	–	–	–	–	–	3
2	वन पंचायत सौड़	चीड़ हरा	12	1	7	3	1	2	–	–	–	26
		बुराश हरा	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		दुधिलाहरा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		अयार हरा	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
		बॉज हरा	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
		योग	13	2	7	6	1	2	–	–	–	31
		महायोग	14	2	7	8	1	2	–	–	–	34

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

AAE

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

(16)

मार्ग का नाम :– जनपद नैनीताल में घुघुखान–सौड़ व देवीपुरा–सौड़ मोटर मार्ग के मध्य

मिसिंग लिंक मार्ग का निर्माण

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल में 0.360 है0 वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनॉक 23.10.2013 को निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0.10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	
1	वन पंचायत सौड़	बांज हरा	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
2	नाप भूमि सौड़	बांज हरा	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
3		योग	1	1	–	1	–	–	–	–	–	3

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

आरओ

AOE

सहायक अभियंता AE
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

ह0/
वन संरक्षक
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल.

अधिशासी अभियन्ता EE
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल.

उप प्रभागीय वनाधिकारी (के०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.

11

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– घुघुखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य लिंक मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -- सौड़

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत घुघुखान सौड़ मोटर मार्ग से देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य लिंक मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (.........हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि..........हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0) अर्थात कुल 0.660 हे0 वन भूमि का.......... प्रा0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौड़ द्वारा दिनांक 14-10-14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधाानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि..........हे0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)

ह0/प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सौड़
विकासखण्ड कोटाबाग (नैनीताल)

नोट— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रतत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 14-10-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सौड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री दीवानीराम S/o खीम राम	दीवानीराम
2	" हिम्मतसिंह S/o श्री दीवान सिंह	हिम्मतसिंह
3	" शिवराजसिंह S/o " देव सिंह	शिवराजसिंह
4	" पूरनसिंह नेगी S/o " किशन सिंह	पूरनसिंह नेगी
5	" नन्दनराम S/o " गंगा राम	नन्दन राम
6	" नारायणसिंह S/o " फकीर सिंह	नारायण सिंह
7	" गोपाल सिंह S/o " रूप सिंह	गोपाल सिंह
8	" दयालसिंह S/o " दीवान सिंह	दयाल सिंह
9	" नैन राम S/o " शिवराम	नैनराम
10	" टिका राम S/o " गंगा राम	[illegible]
11	" दयाल सिंह S/o " मोहन सिंह	दयाल सिंह
12	" देवेन्द्र सिंह S/o " प्रेम सिंह	देवेन्द्र सिंह
13	श्रीमती लीला देवी W/o " दीवान सिंह	लीला देवी
14	श्री पुष्कर सिंह S/o " माधो सिंह	पुष्कर सिंह
15	" चन्दन सिंह S/o " प्रेम सिंह	चन्दन सिंह
16	" जीवनसिंह	जीवन सिंह
17	" पंकज सिंह	पंकज सिंह
18	" पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
19	" डुंगर सिंह	[illegible]
20	" अनूप राम	अनूप राम

[illegible]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)

सदस्य
[illegible] क्षे० प० सौड़
प्रधान कोटाबाग
ग्राम पचायत सौड़
विकासखण्ड कोटाबाग (नैनीताल)

– ध्यानसिंह
सदस्य
क्षेत्र पचायत सौड़
विकासखण्ड कोटाबाग (नैनीताल)

11

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति नैनीताल

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत धुधुखान सौड़ मोटर एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य फिलिंग लिंक मार्ग (............हे0 आरक्षित वन भूमि..........हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि..........हे0 अर्थात कुल 0.660 हे0 वन भूमि) का ग्रा० ख० लो० नि० वि० नैनीताल प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील नैनीताल) की दिनांक 18/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आशीष चौहान उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री आशीष चौहान उपजिलाधिकारी नैनीताल अध्यक्ष
2. श्री शु० सी० तिवारी उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल सदस्य
3. श्री बी० सी० जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोटाबाग सदस्य/सचिव
4. श्री ध्यान सिंह बी.डी.सी क्षेत्र सौड़ (कोटाबाग) सदस्य

ध्यान सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सौड़
विकासखण्ड कोटाबाग (नैनीताल)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत धुधुखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य फिलिंग लिंक मार्ग ....हे0 वन भूमि................................ प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत धुधुखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपुरा मोटर मार्ग के मध्य फिलिंग लिंक मार्ग के निर्माण

कमशः 2पर

परियोजना के निर्माण हेतु 0.660 हे0 वनभूमि प्रा०ख०लो०नि०वि० नैनीताल प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल।